फाइल न. ए.12018/35/2019-Lep

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु तमिलनाडु में तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) (समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु तमिलनाडू में तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 508-डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। shorn.singh27@gov.in

(अरुण कुमार गुप्ता)

अनुभाग अधिकारी (सीसीडी अनूभाग)

दूरभाष 23063002

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2021

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 1995 जहाँ तक इसका सम्बन्ध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू में तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) के पद पर भर्ती की पद्धति तथा नियम एवं व्यवस्थापन का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 होगा।

   2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्) ।	*02(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44900/ - 142400/- रु.) ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा।	पदोन्नति: वेतन मेट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6 में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् /चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. उप महानिदेशक(कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष 2. निदेशक केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू -सदस्य 3.उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू -सदस्य।	लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/35/2019-कुष्ठ

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार